न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ (राज.)

परिवाद संख्या 43/2025
तारीख दायर 16.07.2025
पीठासीन अधिकारीः– विजयेश कुमार पण्डया, आरएएस

खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,प्रतापगढ़

– प्रार्थी

बनाम

श्री अशोक कुमार जैन पुत्र श्री झमकलाल, मैसर्स अशोक कुमार झमकलाल, खूंता

अप्रार्थी

:–आदेश–:

दिनांक 12/08/2025

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प1 (2) कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ ने अप्रार्थी के विरूद्व एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सब स्टेण्डर्ड जीरा का विकय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंधन किया है। जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं0 6 की प्राप्ति रसीद । अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों की फार्म नं0 6 की पुश्त पर प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र विकेता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 02.04.2025 को दोपहर 2.00 पी.एम. पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स अशोक कुमार झमकलाल, खूंता पहुंचा व अपना परिचय दिया । उस समय दुकान पर श्री अशोक कुमार उपस्थित थे। विक्रेता से पूछने पर उक्त संस्था का मालिक होना बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगने पर विक्रेता [illegible]नुज्ञा पत्र की छाया प्रतियां प्रस्तुत की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2026.05.11 11:42:14 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण करने पर वहा जीरा 3 किलो पैक अवस्था में रखा हुआ था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को इसमे अंदेशा होने पर विक्रेता की उपस्थिति में फार्म नं. 5ए पर उक्त जीरा का वास्ते जांच हेतु नमूना लेने की सूचना देते हुए उक्त जीरा में से 2 किलो जीरा वास्ते जॉच हेतु खरीदा तथा उसकी कीमत 800 रूपये विक्रेता को नगद चुकाकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता, गवाहान व खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना जांच हेतु क्रय किये गये चारो पैकेटो को विक्रेता तथा गवाहान की उपस्थिति में नमूना बॉक्स पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कोड व सिरियल नम्बर वाई–2432 नमूना लेने वाले का नाम, नमूना लेने की दिनांक व स्थान तथा अन्य विवरण अंकित कर विक्रेता एवं गवाहान से हस्ताक्षर कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर चिपकाया। प्रत्येक नमूना बॉक्स को मोटे व मजबूत कागज में लपेटकर कागज के दोनो सिरो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना बॉक्स पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ की हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप संख्या वाई–2432 गोंद से प्रत्येक नमूना बॉक्स के पेंदे से शीर्ष तक गोलाई में चिपकाकर मोटे व मजबूत धागे से बांधकर, चार जगह चपडी से, एक सील प्रत्येक नमूना बॉकस के मुंह पर, एक सील प्रत्येक नमूना बॉक्स के पेंदे पर तथा दो सील प्रत्येक नमूना बॉक्स की बॉडी पर, जहा धागे की गांठ लगाई थी, लगाकर नियमानुसार सील बन्द किया। चारो सील बन्द नमूना बॉक्स पर विक्रेता के इस प्रकार हस्ताक्षर करवाये जो आधे पेपर स्लिप व आधे रेपर पर है, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। प्रत्येक सील बन्द नमूना बॉक्स पर नमूना नम्बर, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम अंकित कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द नमूना बॉक्सों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने जाप्ते में लिया। किये। मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतिया एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर सुनकर समझकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

कार्यालय पहुॅच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की प्रत्येक पर नमूना सिल लगाई जिससे नमूना सिल किया गया था। एक नमूना मय फार्म संख्या की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। फार्म न. 6 की एक प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को को जमा कर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2026.05.11 11:42:14 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

सीलबन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सीलबन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला प्रतापगढ़ को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अग्रेषण पत्र द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मालूम हुआ कि उनके द्वारा लिया गया जीरा सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा समस्त मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णयन प्रकरण तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया । इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया ।

अप्रार्थी अभियुक्त को उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद में वर्णित तथ्यों को पढ़कर अवगत कराया गया । अप्रार्थी अभियुक्त उपस्थित एवं जवाब देने से मना किया।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एक्ट/2025 /1178 दिनांक 13.05.2025 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अपनी दुकान से बेचा जा रहा जीरा का नमूना जांच रिपोर्ट में सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त **सब स्टेण्डर्ड वस्तु** विक्रय करने का दोषी पाया जाता है ।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) के तहत अमानक पदार्थ बेचने का दोषी है जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है । चूंकि अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा उक्त कृत्य प्रथम बार किया गया है। अतः उक्त खाद्य पदार्थ के सम्बन्ध में दोबारा पुनरावृति नही करने की चेतावनी के साथ उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित है । अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की [illegible] की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्व[illegible] दिनांक 02.04. 2025 को उपलब्ध कुल माल 3 किलो [illegible] 6000/–रू अक्षरे

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2026.05.11 11:42:14 IST
Reason: SelfAttested

निर्णयन अधिकारी एवं
[illegible] जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

छह हजार रू अप्रार्थी पर आरोपित की जाती है । अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के नाम जरिये डी0डी0 न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में निर्णय दिनांक **12.08.2025** से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2025 को लिखाया जाकर सरे न्यायालय सुनाया गया ।

12/8/25

(विजयेश कुमार पण्ड्या)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

कमांक / रीडर / 2025 /

दिनांक 12.08.2025

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं ,जयपुर ।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
3. अप्रार्थी अभियुक्त श्री अशोक कुमार जैन पुत्र श्री झमकलाल, मैसर्स अशोक कुमार झमकलाल, खूंता

(विजयेश कुमार पण्ड्या)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2026.05.11 11:42:14 IST
Reason: SelfAttested

4